

रजि० नं० एल. डब्लू./एन.पी. 890 लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेटक्रम-संख्या-613(ग)
सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारणविधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)(परिनियत आदेश)
लखनऊ, सोमवार, 4 दिसम्बर, 2000 अग्रहायण 13, 1922 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार आवास अनुभाग-1
संख्या 5191/आ-1.2000.339 डीए-83 लखनऊ 4 दिसम्बर, 2000
अधिसूचना प०आ०-1460

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 39-क और धारा-55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2000 1-(1)-यह नियमावली आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) (प्रथम संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायगी।

(2)- यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999 में, नियम 4 का संशोधन 4 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 दिसम्बर, 2000

स्तम्भ-1

वर्तमान उपनियम

(1) लोकप्रिय समागम के किसी स्थान के लिए प्रत्येक परिदर्शक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर लिया जायेगा :-

अनुसूची परिदर्शकों की श्रेणी लोकप्रिय समागम के नाम अवधि जिसके लिए पथकर पथकर की दर लिया जायेगा (रुपये में) 1 2 3 4

1. विदेशी ताजमहल और अन्य लोकप्रिय पूरा दिन (रात्रि को छोड़कर) 500 समागम के स्थान

** ताजमहल और अन्य लोकप्रिय रात्रि 7.30 सायं से 6.00 प्रातः तक 1000 समागम के स्थान

** किला पूरे दिन 50

** ताजमहल/किला को छोड़कर अन्य पूरे दिन 10 स्मारक

2. भारतीय ताजमहल और अन्य लोकप्रिय स्मारक 6.00 प्रातः से 8.00 या 4.30 सायं 100 समागम के स्थान से 7.30 सायं तक

** ताजमहल 8.00 प्रातः से 4.30 सायं तक 10

** ताजमहल और अन्य लोकप्रिय रात्रि 7.30 सायं से 6.00 प्रातः तक 200 समागम के स्थान

** ताजमहल/किला को छोड़कर अन्य पूरे दिन 10 स्मारक

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(1) लोकप्रिय समागम के किसी स्थान के लिए प्रत्येक परिदर्शक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर लिया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची

परिदर्शकों की श्रेणी लोकप्रिय समागम के नाम अवधि जिसके लिए पथकर पथकर की दर लिया जायगा (रुपये में) 1 2 3 4

1. विदेशी ताजमहल और अन्य लोकप्रिय पूरा दिन (रात्रि को छोड़कर) 500 समागम के स्थान
** ताजमहल और अन्य लोकप्रिय पूरी रात (सायं 7.30 बजे से प्रातः 1000 समागम के स्थान 6.00 तक)
** आगरा का किला पूरा दिन 50
** ताजमहल/आगरा का किला को पूरा दिन 10 छोड़कर अन्य स्मारक
2. भारतीय ताजमहल। पूरा दिन (प्रातः 6.00 बजे से सायं 10 7.30 बजे तक)
** आगरा का किला। तदैव 10
** फतेहपुर सीकरी। तदैव 10
** सिकन्दरा। तदैव 5
** एत्मादउद्दौला तदैव 5

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

3 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 दिसम्बर, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 5191/Aa-1- 2000-339DA/83 dated December-4,2000

No. 5191/Aa-1-2000-339DA/83 Dated:Lucknow December 4,2000

IN exercise of the powers under section 39-A and section 55 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-enacted with modification by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act No. 30 of 1974) read with section 21 fo the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), The Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Agra Development Authority (Assessment and Collection of Toll) Rules, 1999.

THE AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY (ASSESSMENT AND COLLECTION OF TOLL) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2000

1. (1)—These rules amy be called the agra Development Authority Short title and (Assessment and Collection of Toll) (First Amendment) Rules, 2000 Commencement

2. They shall come into force at once.

2. In the Arga Development Authority (Assessment and Collection of Toll) Amendment of Rules, 199, in rule 4, for sub-rule (1) set out in column-1 below, the sub-rule as set rule 4 out in column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1

Existing sub-rule

1. Toll shall be charged from every visitor to any place of popular resort at the specified in column (G) of the Schedule below rates :-
schedule

Category of visitor Name of Popular resore Period for which toll shall Rate of Tollbe chared (in Rs.) 1 2 3 4

1. Foreigners Taj Mahal and other place of Whole day, except right 500

Popular resort

-Do- Taj Mahal and other place of Night (From 7.30 p.m. to 1000 popular resort 6.00 a.m.)

-Do- Fort Whole day 50

-Do- Other than Taj/Fort Whole day 10

1. Indians Taj Mahal and other place of From 6.00 a.m. to 8.00 100

popular resort. a.m. or 4.30 p.m. to 7.30 p.m.

-Do- Taj Mahal From 8 a.m. to 4.30 p.m. 10

-Do- Taj Mahal and other places of Night from 7.30 p.m. to 200

popular resort. 6.00 a.m.

-Do- Other than Taj Whole day 10

4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 दिसम्बर, 2000

Column-2

Sub rule as hereby substituted

1. Toll shall be charged from every visitor to any place of popular resort at the specified in column (4) of the Schedule below namely :_
schedule

Category of visitor Name of Popular resort Period for which toll shall Rate of Toll
be chared (in Rs.)

1 2 3 4

1. Foreigners Taj Mahal and other place of Whole day, except night 500 popular resort

-Do- Taj Mahal and other place of Night (From 7.30 p.m. to 1000

popular resort 6.00 a.m.)

-Do- Agra Fort Whole day 50

-Do- Other than Taj Mahal/Agra Fort Whole day 10

1. Indians Taj Mahal Whole day (From 6.00) 10 a.m. to 7.30 p.m.)

-Do- Agra Fort -Do- 10

-Do- Fatehpur Sikri -Do- 10

-Do- Sikandra -Do- 5

-Do- Etmadduddaula -Do- 5

By order

ATUL KUMAR GUPTA,
Sachiv.